

सं.41015/7/2026-बीसी III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

वर्कहॉल सं. 23076,

तृतीय तल, कर्तव्य भवन-II,

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13.10.2026

एडवाइजरी

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: स्रोत "सौजन्य: संसद टीवी" प्रमुखता से प्रदर्शित करने के संबंध में।

संसद टीवी राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाहियों का लाइव और प्राथमिक प्रसारण करने के साथ-साथ संसद और समसामयिक विषयों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, चर्चाएं, साक्षात्कार, वृत्तचित्र और अन्य सामग्री भी तैयार करता है। संसद टीवी की कार्यवाहियों और कार्यक्रमों का विभिन्न प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग, पुनर्निर्माण, उद्धरण और समावेशन भी किया जाता है। हालांकि, यह देखा गया है कि सामग्री का उपयोग या साझा करते समय चैनल इसके स्रोत का उल्लेख नहीं करते हैं।

2. इस संबंध में, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को यह सलाह दी जाती है कि जब भी वे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या संसद टीवी द्वारा निर्मित या उपलब्ध कराए गए किसी भी कार्यक्रम/सामग्री का प्रसारण, पुनर्निर्माण, साझा या समावेशन करते समय प्रमुखता से "सौजन्य: संसद टीवी" कैप्शन प्रदर्शित करें। इस प्रकार एक समान रूप से स्रोत का उल्लेख किए जाने से विभिन्न टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर उपयोग किए जाने वाले संसदीय फुटेज और कार्यक्रमों के स्रोत के संबंध में अधिक स्पष्टता सुनिश्चित होगी।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by

NAVNEET KUMAR

Date: 13-10-2026

10:41:38

(नवनीत कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष- 24015764

ईमेल: us-bc23@gov.in

प्रतिलिपि:

1. केबल टेलीविजन (संशोधन) नियम, 2021 के तहत पंजीकृत टीवी चैनलों की स्व- विनियामक संस्थाएँ।

2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संघ/संस्थाएँ।

3. ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल

4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

संयुक्त सचिव (प्रशासन और कार्यक्रम), (ध्यानार्थ: डॉ. श्रीमती सुभाश्री पाणिग्रही), संसद टेलीविजन, कमरा सं. 525, 5वीं मंज़िल, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली - 110001। (ईमेल: s.panigrahi@rss.sansad.in)